



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांक:- 233 / 25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0) / 2018-19
सेवा में,

दिनांक:- ०७.07.2018

मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II,

क्षेत्रीय कार्यालय,

लो0नि0वि0, देहरादून/नई टिहरी/पौड़ी/पिथौरागढ़/दण्डनी।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-5054 (पूँजीगत) सड़क/भवन एवं सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन तथा क्षति प्रतिकर भुगतान हेतु आवंटन।

सन्दर्भ:-

शासनादेश संख्या-1502/III (2)/18-02 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-505404337040024 (पूँजीगत) सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मद में ₹ 30.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा फील्ड अधिकारियों से प्राप्त विभिन्न प्रकरणों में भू-अर्जन, भूमि प्रतिकर भुगतान तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान हेतु सूचित धनावंटन की माँग के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार (30 प्रकरण) कुल ₹ 7.2359354 करोड़ (₹ सात करोड़ तेईस लाख उनसठ हजार तीन सौ चौवन मात्र) की धनराशि निम्नवर्णित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्तें (1) संलग्न सूचीनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा प्रतिकर/मुआवजे/फसल/फलदार वृक्षों की क्षतिप्रतिकर का भुगतान जिलाधिकारी/उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सम्बन्धित पक्षों को दिनांक 28.02.2019 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित भू-अर्जन/भूमि प्रतिकर/क्षति प्रतिकर धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों के पक्ष में नियमानुसार एवं अविलम्ब न किये जाने तथा आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों को विलम्ब से किये जाने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों द्वारा संशोधित दरों अर्थात् बढ़ी हुई दरों के आधार पर प्रतिकर भुगतान की जाती है तो संशोधित वृद्धि हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णतः उत्तरदायी माने जायेंगे, तथा अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अनुमोदित सम्मिलित काश्तकारों को उनके नाम के सम्मुख देय भूमि प्रतिकर धनराशि का भुगतान आवश्यक जॉच-परीक्षण एवं सत्यापन के उपरान्त ही नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवंटित धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित कार्यों/मार्गों के मूल आगणन में सम्मिलित नहीं था और न ही उक्त प्रतिकर भुगतान हेतु किसी अन्य योजना/मद में सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान के लिये वित्तीय उपलब्धता थी।

(4) आवंटित धनराशि का निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने, धनराशि लैप्स किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान, दरों से अधिक भुगतान तथा नियमविरुद्ध किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(5) संलग्न सूचीनुसार वर्णित कार्य वर्तमान में किन्हीं कारणों से अन्यत्र खण्ड में हस्तान्तरित हो गये हो अथवा इन कार्यों में प्रतिकर का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो तो आवंटित धनराशि पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय, ताकि यह धनराशि सम्बन्धित खण्ड अथवा अन्य प्रकरणों में आवंटित की जा सके।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(7) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न: कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (3 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/नई टिहरी/चमोली/रूद्रप्रयाग/पौड़ी/पिथौरागढ़।
- 4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख-सीमा जारी करने हेतु।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता वृत्त लोक निर्माण विभाग।
- 6- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, (नोडल, वनभूमि प्रकरण/भूमि अध्याप्ति) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग।
- 8- आई0टी0 सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन वेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्न: कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (3 पृष्ठ)

(देवेन्द्र शाह)

अधिशासी अभियन्ता

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

०७.०७.१८

1.T
Upload
016
10.07.18

पत्र संख्या /25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0)/2018-19 दिनांक /07/2018 का संलग्नक।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में सड़कों तथा सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु आवंटन।
अनुदान संख्या- 22. लेखाशीर्षक 5054-04-337-04-00-24 (पूँजीगत)

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	मार्ग / प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन / स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन	अब आवंटन	कुल आवंटन (क्र. 6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कैन्द्रीय सड़क निधि (सी0आर0एफ0) के अन्तर्गत जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट-थार्न- रायपुर सहस्रधारा मोटर मार्ग के किमी0 14 में 75 मी0 लम्बाई में आ0सी0सी0 सेतु निर्माण के पट्टे मार्ग में आने वाली भूमि का प्रतिकर भुगतान। (3 कारस्तकारों हेतु)	अधीक्षण अधीक्षण संख्या 3994/15 (1) सी0-9/18 दि0 25.06.2018	अधीक्षण अभियन्ता, नवों वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र संख्या 3994/15 (1) सी0-9/18 दि0 25.06.2018	40.63736		40.63736	40.63736
2	मालदेवता से राडगांव-गंधकपानी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का प्रतिकर भुगतान (5 कारस्तकारों हेतु)	अधीक्षण अधीक्षण संख्या 3994(1)/15 (1) सी0-9/18 दि0 25.06.2018	अधीक्षण अभियन्ता, नवों वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र संख्या 3994(1)/15 (1) सी0-9/18 दि0 25.06.2018	64.29500		64.29500	64.29500
	योग, अस्थाई खण्ड ऋषिकेश			104.93236	0.00	104.93236	104.93236
3	जनपद उत्तरकाशी में सिलकथार-बनगांव-बापड़ा-सरोट मोटर मार्ग के किमी0 28 से 30 में मोटर मार्ग के सुधार कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि / फसल का प्रतिकर भुगतान।	अधीक्षण अधीक्षण संख्या 485/90 सी0-06/2018 दि0 22.03.2018	अधीक्षण अभियन्ता, छठवों वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 485/90 सी0-06/2018 दि0 22.03.2018	0.63865		0.63865	0.63865
4	जनपद उत्तरकाशी में उड़खोला जिल्हा टण्डोल मोटर मार्ग के देवीधारा से रमोली बढाला मोटर मार्ग में विगत वर्ष अवितरित प्रतिकर का भुगतान।	अधीक्षण अधीक्षण संख्या 511/2 एल0ए0 दिनांक 01.05.2018	अधीक्षण अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 511/2 एल0ए0 दिनांक 01.05.2018	33.81143		33.81143	33.81143
5	जनपद उत्तरकाशी में एच0आर0टी0 से जसपुर मोटर मार्ग में विगत वर्ष अवितरित प्रतिकर का भुगतान।	अधीक्षण अधीक्षण संख्या 2195/97 सी0-06/2018 दि0 20.05.2018	अधीक्षण अभियन्ता, छठवों वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 2195/97 सी0-06/2018 दि0 20.05.2018	27.08513		27.08513	27.08513
	योग, निर्माण खण्ड विन्ध्यालीसौड			61.53521	0.00000	61.53521	61.53521
6	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में उत्तरकाशी-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 5 से 14 तक अवशेष भू एच मोटर मार्ग के भू-धसाव मोटर मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त भूमि का प्रतिकर भुगतान।	अधीक्षण अधीक्षण संख्या 1957/86 सी0-06/2018 दि0 03.05.2018	अधीक्षण अभियन्ता, छठवों वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 1957/86 सी0-06/2018 दि0 03.05.2018	40.22305		40.22305	40.22305
	योग, प्रांतीय खण्ड भटवाड़ी			40.22305	0.00000	40.22305	40.22305
7	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में विश्व बैंक खण्ड पोषित योजना के अन्तर्गत ग्राम गंगाड में सुपिन- बड़सू नदी पर 70 मी0 स्थान के झूला सेतु निर्माण हेतु अधिग्रहित नापभूमि का प्रतिकर भुगतान।	अधीक्षण अधीक्षण संख्या 1554/86 सी0-06/2018 दि0 17.05.2018	अधीक्षण अभियन्ता, छठवों वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 1554/86 सी0-06/2018 दि0 17.05.2018	1.90948		1.90948	1.90948
8	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ सांकरा मो0 मार्ग के किमी0 20 से आगे सांकरा तक परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग निर्माण में भूधसाव के कारण क्षतिग्रस्त वृक्षों का प्रतिकर भुगतान।	अधीक्षण अधीक्षण संख्या 2002/161(1)सी0-8/2016 दि0 14.05.2018	अधीक्षण अभियन्ता, आठवों वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 2002/161(1)सी0-8/2016 दि0 14.05.2018	4.98482		4.98482	4.98482
	योग, निर्माण खण्ड पुरोला			6.89430	0.00000	6.89430	6.89430
9	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधारा-गराकोट-पौड़ीखाल मो0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि का भूमि-अध्यापि एवं दवान, फसल क्षतिपूर्ति का प्रतिकर भुगतान।	अधीक्षण अधीक्षण संख्या 3034/161(1)सी0-8/2016 दि0 22.05.2018	अधीक्षण अभियन्ता, आठवों वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 3034/161(1)सी0-8/2016 दि0 22.05.2018	12.42		12.42	12.42
10	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में ओनालगांव से कोटालगांव तक मो0 मार्ग निर्माण से प्रभावित भूमि का प्रतिकर भुगतान।	अधीक्षण अधीक्षण संख्या 3034/161(1)सी0-8/2016 दि0 22.05.2018	अधीक्षण अभियन्ता, आठवों वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 3034/161(1)सी0-8/2016 दि0 22.05.2018	24.07		24.07	24.07
11	जनपद टिहरी गढ़वाल में राधेश्वर, परसारी, मल्याकोट मोटर मार्ग का नवनिर्माण (लम्बाई 5.00 किमी0) के अन्तर्गत अध्यापि भूमि का प्रतिकर भुगतान।	अधीक्षण अधीक्षण संख्या 3034/161(1)सी0-8/2016 दि0 22.05.2018	अधीक्षण अभियन्ता, आठवों वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 3034/161(1)सी0-8/2016 दि0 22.05.2018	95.01		95.01	95.01
	योग, प्रांतीय खण्ड नई टिहरी			131.50	0.00	131.50	131.50

क्र० सं०	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित तागव	पूर्व आवंटन	अब आवंटन	कुल आवंटन (क्र. 6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	जनपद टिहरी गढ़वाल में पाथों से छत्तेण्डी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (स्वीकृत लम्बाई 5.00 किमी०-वास्तविक लम्बाई 2.3 किमी० तक) रूपाई भूमि अध्यादि का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख० नरेन्द्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी का पत्र संख्या 2893/161 (3) सी०-8/2018 दि० 21.05.2018	38.47500		38.47500	38.47500
13	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बिड़ोन-थान मोटर मार्ग निर्माण से अतिरिक्त खेतों का कटान एवं दबान का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख० नरेन्द्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी का पत्र संख्या 2893/161 (3) सी०-8/2018 दि० 21.05.2018	9.58		9.58	9.58
14	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत जंगलात रोड़ से नवापानी से जूनियर हाईस्कूल दुवाकोटी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	नि०ख० नरेन्द्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी का पत्र संख्या 1014/161 (2) सी०-8/2016 दि० 26.04.2018	26.03		26.03	26.03
15	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थोलाधार में काण्डीखाल से इन्डर मोटर मार्ग के नवनिर्माण में भू-अर्जन एवं फसल, पेड़ की क्षतियों का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख० चम्बा	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी का पत्र संख्या 1014/161 (2) सी०-8/2016 दि० 26.04.2018	74.08500	0.00000	74.08500	74.08500
16	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत विनयखाल-भिगुन-तोली मोटर मार्ग का अवशेष प्रतिकर भुगतान।	अ०ख० धनसाली	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी का पत्र संख्या 1846/161(6)सी०-8/17 दि० 11.04.2018	27.23	0.00	27.23	27.23
17	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत थाती-कोट-धण्डियालसौड़-तिरुणा मो० मार्ग का अवशेष प्रतिकर भुगतान।	अ०ख० धनसाली	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी का पत्र संख्या 2056/161(4)सी०-8/18 दि० 14.05.2018	3.31080		3.31080	3.31080
18	अरुणखण्ड खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर (कीर्तिनगर) के 14 मोटर मार्गों में विगत वर्ष आविर्तित प्रतिकर धनराशि का भुगतान। (मार्गवार धनवाटन सूची संलग्न)	अ०ख० श्रीनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी का पत्र संख्या 1102/बजट दि० 19.05.2018	6.85812	0.00000	6.85812	6.85812
19	अमरगढ़ी-कण्डोली-मैखण्डी मोटर मार्ग के किमी० 2 है०मी० 4-6 में खड़्ड साईड में स्थित कुसुम लता मर्मगई के क्षतिग्रस्त मकान का प्रतिकर भुगतान।	अ०ख० श्रीनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी का पत्र संख्या 2861/161(6)सी०-8/18 दि० 21.05.2018	10.16892	0.00000	10.16892	10.16892
20	कोठार हल्का वाहन मार्ग के किमी० 2 कोस सेक्शन 1/31-32 में खड़्ड साईड में स्थित सरोप सिंह पुत्र श्री तुलसी सिंह के क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा भुगतान।	अ०ख० श्रीनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी का पत्र संख्या 3111/161(6)सी०-8/18 दि० 05.06.2018	79.24		79.24	79.24
21	कोठार तिक हल्का वाहन मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सुधारकारण कार्य के अन्तर्गत ग्राम थाती डगर के काश्तकारों की भूमि प्रतिकर, फसल क्षति, भूमि दबान एवं पेड़ों का प्रतिकर भुगतान।	अ०ख० श्रीनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी का पत्र संख्या 3111/161(6)सी०-8/18 दि० 05.06.2018	0.36076		0.36076	0.36076
22	जनपद चमोली के कर्णप्रयाग-नैनीसैण से कालसैण-सेरागाड़ मोटर मार्ग के किमी० 32.15 से 37.15 तक नव निर्माण से ग्राम ह्यूणा एवं सेरा पाखुडी के काश्तकारों की नापभूमि का प्रतिकर भुगतान।	अ०ख० गौचर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर का पत्र संख्या 2174/367 यातायात-07/2018 दि० 14.06.2018	18.16904	0.00000	18.16904	18.16904
23	जनपद चमोली के कर्णप्रयाग-नौटी-पैठणी मोटर मार्ग से चौण्डली-सेरा-बंजाण-सिलंगी मोटर मार्ग नव निर्माण (किमी० 01 में वर्षा के कारण) से ग्राम चौण्डली के काश्तकारों की क्षतिग्रस्त नाप भूमि का प्रतिकर भुगतान।	अ०ख० गौचर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर का पत्र संख्या 2152/98 यातायात-07/2018 दि० 12.06.2018	45.94		45.94	45.94
24	जनपद चमोली के कर्णप्रयाग-नौटी-पैठणी मोटर मार्ग से चौण्डली-सेरा-बंजाण-सिलंगी मोटर मार्ग नव निर्माण से ग्राम ल्वेटा के काश्तकारों की नापभूमि का प्रतिकर भुगतान।	अ०ख० गौचर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवें वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर का पत्र संख्या 2257/98 यातायात-07/2018 दि० 13.06.2018	11.91		11.91	11.91
	योग, अरुणखण्ड खण्ड श्रीनगर			8.04	0.00	8.04	8.04
	योग, अरुणखण्ड गौचर			65.89	0.00	65.89	65.89

क्र० सं०	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमान/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित लागत	पूँजीगत वर्ष 2018-19 में आवंटन	अब आवंटन	कुल आवंटन (क्र. 6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
25	ग्रामीण खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 03 मोटर मार्गों में में विगत वर्ष के दौरान अवितरित प्रतिकर का भुगतान। (समिति धनराशि रु० 24.52217 लाख+ कालातीत धनराशि रु० 0.802 लाख अर्थात् कुल रु० 25.32417 लाख)	ग्रामखण्ड रुद्रप्रयाग	अधिसूची अभियन्ता, ग्रामखण्ड लोनिथि रुद्रप्रयाग का पत्र संख्या 1996/6 ए दिनांक 12.06.2018	25.32417		25.32417	25.32417
	योग, ग्रामीण खण्ड रुद्रप्रयाग			25.32417	0.00	25.32417	25.32417
26	जनपद पौड़ी गढ़वाल में जहरीखाल ब्लाक के अन्तर्गत कन्दोली-पीडा तल्ला-बेबड़ी-डोबा मोटर मार्ग के निर्माण एवं सेतु निर्माण में अध्याप्त भूमि, फसल तथा पेड़ों का प्रतिकर भुगतान।	ग्रामखण्ड लैन्सडौन	अधीक्षण अभियन्ता, 12 वें वृत्त लोनिथि पौड़ी का पत्र संख्या 1714/720 याता-12/18 दि० 06.06.2018	17.12790		17.12790	17.12790
	योग, ग्रामीण खण्ड लैन्सडौन			17.12790	0.00000	17.12790	17.12790
27	जनपद पिथौरागढ़ में रिंग रोड के अन्तर्गत निराडा चैसर मोटर मार्ग में पड़ने वाली नापभूमि का प्रतिकर भुगतान।	ग्रामखण्ड पिथौरागढ़	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त लोनिथि पिथौरागढ़ का पत्र संख्या 3981/926 सी-3/2018 दिनांक 18.05.2018	36.38250		36.38250	36.38250
	योग, ग्रामीण खण्ड पिथौरागढ़			36.38250	0.00000	36.38250	36.38250
28	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में तहसील थल बेरीनाग के अन्तर्गत थल लेजम से दहमोली मोटर मार्ग निर्माण में कटी नाप भूमि का आपसी समझौता प्रस्ताव। (पूर्व सूचित माँग रु० 37.606 लाख के स्थान पर संशोधित माँग रु० 10.04628 लाख)	ग्रामखण्ड डीडीहाट	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त लोनिथि पिथौरागढ़ का पत्र संख्या 981/38 सी-3/2018 दिनांक 07.03.2018 एवं अधिसूची अभियन्ता, ग्रामखण्ड लोनिथि डीडीहाट का पत्र संख्या 1048/3 सी दिनांक 11.06.2018 द्वारा संशोधित माँग	10.04628	37.60600	-27.55972	10.04628
29	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में तहसील कनालीछीना के अन्तर्गत रणगांव हथीला मोटर मार्ग निर्माण में कटी नाप भूमि का आपसी समझौता प्रस्ताव।	ग्रामखण्ड डीडीहाट		75.21255	37.60655	37.60600	75.21255
	योग, ग्रामीण खण्ड डीडीहाट			85.25883	75.21255	10.04628	85.25883
30	जनपद नैनीताल में कसियालेख-वृद्धीना-सूफी मोटर मार्ग से ग्राम वना के कारखानों की नापभूमि का प्रतिकर भुगतान।	ग्रामखण्ड नैनीताल	मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र का. लोनिथि हल्द्वानी का पत्र संख्या 3265/01 व०भूमि-हल्द्वानी/2017 दि० 11.06.2018	13.71094		13.71094	13.71094
	योग, निर्माण खण्ड नैनीताल			13.71094	0.00000	13.71094	13.71094
	कुलयोग:- (क्र०सं० 1 से 30 तक)			798.80609	75.21255	723.59354	798.80609

25 अप्रैल शीट-1 दिनांक 06.07.2018

अब आवंटित धनराशि: ₹ सात करोड़ तेईस लाख उनसठ हजार तीन सौ चौवन मात्र।

प्रमोदी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

